



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1160) पटना, बुधवार, 7 अक्टूबर 2015

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

7 अक्टूबर 2015

सं0 बी1-3-95/2015-40—बिहार विधान-सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर 1-वाल्मीकिनगर, 2-रामनगर (अ0जा0), 3-नरकटियागंज, 4-बगहा, 5-लौरिया, 6-नौतन, 7-चनपटिया, 8-बेतिया, 9-सिकटा, 10-रक्सौल, 11-सुगौली, 12-नरकटिया, 13-हरसिद्धि (अ.जा.), 14-गोविन्दगंज, 15-केसरिया, 16-कल्याणपुर, 17-पिपरा, 18-मधुबन, 19-मोतिहारी, 20-चिरैया, 21-ढाका, 22-शिवहर, 23-रीगा, 24-बथनाहा (अ.जा.), 25-परिहार, 26-सुरसंड, 27-बाजपट्टी, 28-सीतामढ़ी, 29-रून्नीसैदपुर, 30-बेलसंड, 88-गायघाट, 89-औरई, 90-मीनापुर, 91-बोचहाँ (अ.जा.), 92-सकरा (अ.जा.), 93-कुढ़नी, 94-मुजफ्फरपुर, 95-काँटी, 96-बरुराज, 97-पारु एवं 98-साहेबगंज, 99-बैकुण्ठपुर, 100-बरौली, 101-गोपालगंज, 102-कुचायकोट, 103-भोरे (अ0जा0), 104-हथुआ, 105-सिवान, 106-जीरादेई, 107-दरौली (अ0जा0), 108-रघुनाथपुर, 109-दरौंदा, 110-बड़हरिया, 111-गोरेयाकोठी एवं 112-महाराजगंज विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0- बी1-3-95/2015-39 दिनांक 07.10.2015 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0-464/बिहार-वि.स./2015 दिनांक 07.10.2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव-सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

7 अक्टूबर 2015

सं० बी१-३-९५/२०१५-३९—यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, 29 नवम्बर, 2015 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात् उसकी अवधि के अवनयन पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है; और

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल एतद् द्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
1- वाल्मीकिनगर
2- रामनगर (अ०जा०)
3- नरकटियागंज
4- बगहा
5- लौरिया
6- नौतन
7- चनपटिया
8- बेतिया
9- सिकटा
10- रक्सौल
11- सुगौली
12- नरकटिया
13- हरसिद्धि (अ०जा०)
14- गोविन्दगंज
15- केसरिया
16- कल्याणपुर
17- पिपरा
18- मधुबन
19- मोतिहारी
20- चिरैया
21- ढाका
22- शिवहर
23- रीगा

24- बथनाहा (अ0जा0)
25- परिहार
26- सुरसंड
27- बाजपट्टी
28- सीतामढ़ी
29- रून्नीसैदपुर
30- बेलसंड
88- गायघाट
89- औराई
90- मीनापुर
91- बोचहाँ (अ0जा0)
92- सकरा (अ0जा0)
93- कुढ़नी
94- मुजफ्फरपुर
95- काँटी
96- बरुराज
97- पारु
98- साहेबगंज
99- बैकुण्ठपुर
100- बरौली
101- गोपालगंज
102- कुचायकोट
103- भोरे (अ0जा0)
104- हथुआ
105- सिवान
106- जीरादेई
107- दरौली (अ0जा0)
108- रघुनाथपुर
109- दरौंदा
110- बड़हरिया
111- गोरेयाकोठी
112- महाराजगंज

राज्यपाल के नाम व उनके आदेश से,

बिहार सरकार के मुख्य सचिव।

ELECTION DEPARTMENT**NOTIFICATION***The 7th October 2015*

No. B1-3-95/2015- 39—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Bihar, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 29th November, 2015 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the state of Bihar ; and

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Bihar specified in the Table below to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

TABLE

Number and name of Assembly Constituencies
1-Valmiki Nagar
2-Ramnagar (SC)
3-Narkatiaganj
4-Bagaha
5-Lauriya
6-Nautan
7-Chanpatia
8-Bettiah
9-Sikta
10-Raxaul
11-Sugauli
12-Narkatia
13-Harsidhi (SC)
14-Govindganj
15-Kesaria
16-Kalyanpur
17-Pipra
18-Madhuban
19-Motihari
20-Chiraia
21-Dhaka
22-Sheohar
23-Riga
24-Bathnaha (SC)
25-Parihar

26-Sursand
27-Bajpatti
28-Sitamarhi
29-Runnisaidpur
30-Belsand
88-Gaighat
89-Aurai
90-Minapur
91-Bochaha (SC)
92-Sakra (SC)
93-Kurhani
94-Muzaffarpur
95-Kanti
96-Baruraj
97-Paroo
98-Sahebganj
99-Baikunthpur
100-Barauli
101-Gopalganj
102-Kuchaikote
103-Bhorey (SC)
104-Hathua
105-Siwan
106-Ziradei
107-Darauli (SC)
108-Raghunathpur
109-Daraundha
110-Barharia
111-Goriakothi
112-Maharajganj

BY ORDER AND IN THE NAME OF GOVERNOR,
CHIEF SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BIHAR.

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015/15 आश्विन, 1937 (शक)

सं० 464/बिहार-वि.सं./2015:- यतः बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान-सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दे;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा:-

(अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख :	14 अक्टूबर, 2015 (बुधवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख :	15 अक्टूबर, 2015 (वृहस्पतिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख :	17 अक्टूबर, 2015 (शनिवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।	01 नवम्बर, 2015 (रविवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा।	12 नवम्बर, 2015 (वृहस्पतिवार)

नियत करता है; और

(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को सारणी के स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
1- वाल्मीकिनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
2- रामनगर (अ०जा०)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
3- नरकटियागंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
4- बगहा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
5- लौरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
6- नौतन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
7- चनपटिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
8- बेतिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
9- सिकटा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
10- रक्सौल	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
11- सुगौली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
12- नरकटिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

13- हरसिद्धि (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
14- गोविन्दगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
15- केसरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
16- कल्याणपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
17- पिपरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
18- मधुबन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
19- मोतिहारी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
20- चिरैया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
21- ढाका	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
22- शिवहर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
23- रीगा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
24- बथनाहा (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
25- परिहार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
26- सुरसंड	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
27- बाजपट्टी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
28- सीतामढ़ी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
29- रून्नीसैदपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
30- बेलसंड	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
88- गायघाट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
89- औराई	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
90- मीनापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
91- बोचहाँ (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
92- सकरा (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
93- कुढ़नी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
94- मुजफ्फरपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
95- काँटी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
96- बरुराज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
97- पारु	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
98- साहेबगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
99- बैकुण्ठपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
100- बरौली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
101- गोपालगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
102- कुचायकोट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
103- भोरे (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
104- हथुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

105- सिवान	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
106- जीरादेई	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
107- दरौली (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
108- रघुनाथपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
109- दरौदा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
110- बड़हरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
111- गोरेयाकोठी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
112- महाराजगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

आदेश से,
आर. के. श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 Dated 07th October, 2015/
15 Asvina, 1937 (Saka)*

No. 464/BR-LA/2015 :- WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by a notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official gazette of the State on the 7th October, 2015, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Bihar, as specified in column(1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby :-

(A) appoints, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table

- (a) the 14th October, 2015 (Wednesday) : as the last date for making nominations;
- (b) the 15th October, 2015 (Thursday) : as the date for scrutiny of nominations;
- (c) the 17th October, 2015 (Saturday) : as the last date for withdrawal of candidatures;
- (d) the 1st November, 2015 (Sunday) : as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- (e) the 12th November, 2015 (Thursday) : as the date before which the election shall be completed;

and

(B) fixes the hours, as shown in column (2) of the Table below, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above in the corresponding Constituency shown in column (1) of the Table :

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
1-Valmiki Nagar	7.00 AM to 4.00 PM
2-Ramnagar (SC)	7.00 AM to 4.00 PM
3-Narkatiaganj	7.00 AM to 5.00 PM
4-Bagaha	7.00 AM to 5.00 PM
5-Lauriya	7.00 AM to 5.00 PM
6-Nautan	7.00 AM to 5.00 PM
7-Chanpatia	7.00 AM to 5.00 PM

8-Bettiah	7.00 AM to 5.00 PM
9-Sikta	7.00 AM to 5.00 PM
10-Raxaul	7.00 AM to 5.00 PM
11-Sugauli	7.00 AM to 5.00 PM
12-Narkatia	7.00 AM to 5.00 PM
13-Harsidhi (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
14-Govindganj	7.00 AM to 5.00 PM
15-Kesaria	7.00 AM to 5.00 PM
16-Kalyanpur	7.00 AM to 5.00 PM
17-Pipra	7.00 AM to 5.00 PM
18-Madhuban	7.00 AM to 4.00 PM
19-Motihari	7.00 AM to 5.00 PM
20-Chiraia	7.00 AM to 4.00 PM
21-Dhaka	7.00 AM to 4.00 PM
22-Sheohar	7.00 AM to 3.00 PM
23-Riga	7.00 AM to 3.00 PM
24-Bathnaha (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
25-Parihar	7.00 AM to 5.00 PM
26-Sursand	7.00 AM to 5.00 PM
27-Bajpatti	7.00 AM to 5.00 PM
28-Sitamarhi	7.00 AM to 5.00 PM
29-Runnisaidpur	7.00 AM to 3.00 PM
30-Belsand	7.00 AM to 3.00 PM
88-Gaighat	7.00 AM to 5.00 PM
89-Aurai	7.00 AM to 5.00 PM
90-Minapur	7.00 AM to 4.00 PM
91-Bochaha (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
92-Sakra (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
93-Kurhani	7.00 AM to 5.00 PM
94-Muzaffarpur	7.00 AM to 5.00 PM
95-Kanti	7.00 AM to 5.00 PM

96-Baruraj	7.00 AM to 5.00 PM
97-Paroo	7.00 AM to 4.00 PM
98-Sahebganj	7.00 AM to 4.00 PM
99-Baikunthpur	7.00 AM to 5.00 PM
100-Barauli	7.00 AM to 5.00 PM
101-Gopalganj	7.00 AM to 5.00 PM
102-Kuchaikote	7.00 AM to 5.00 PM
103-Bhorey (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
104-Hathua	7.00 AM to 5.00 PM
105-Siwan	7.00 AM to 5.00 PM
106-Ziradei	7.00 AM to 5.00 PM
107-Darauli (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
108-Raghunathpur	7.00 AM to 5.00 PM
109-Daraundha	7.00 AM to 5.00 PM
110-Barharia	7.00 AM to 5.00 PM
111-Goriakothi	7.00 AM to 5.00 PM
112-Maharajganj	7.00 AM to 5.00 PM

By Order,
R. K. SRIVASTAVA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1160-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>